धारा-49. लाभांश की धनराशि पर निर्बन्धन.- शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य भागिता-निधि के धन से अन्य सहकारी समितियों में अंश क्रय किये हों तथा केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य भागिता-निधि के धन से प्रारम्भिक समितियों में अंश क्रय किये हों, उक्त अंश पर केवल ऐसे लाभांश की हकदार होगी जो सम्बद्ध समिति द्वारा घोषित किया जाये और जो उस समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।